दिनांकः–06.06.2019

अभियुक्तगण राजीव शर्मा व श्रीमती विभूति शर्मा की ओर से मु0अ0सं0 763/2018 अंतर्गत धारा 498ए भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना सुभाषनगर जिला बरेली में जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्तगण आत्मसमर्पण पर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थना पत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण को वाद में झूठा फॅसाया गया है।उन्होंने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से आपत्ति कर अपराध अजमानतीय बताते हुये जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण दामपत्य/वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न दहेज प्रताड़ना के विवाद से संबंधित है तथा अभियुक्तगण वादिनी मुकदमा के ससुर व सास हैं एवं वृद्ध व्यक्ति हैं।मुख्य अभियुक्त की जमानत पूर्व में न्यायालय द्वारा हो चुकी है।मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो में जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण राजीव शर्मा व श्रीमती विभूति शर्मा को 20–20 हजार रूपये (रू0 बीस–बीस हजार) के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व इसी धनराशि के दो–दो जमानती दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या–07, बरेली।